

पेप्सिको ने किसानों पर मुकदमा दायर किया

चर्चा में क्यों?

कोल्ड ड्रिक्स, चप्सि आदि बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको समूह ने कुछ गुजराती किसानों पर मुकदमा दायर किया है। पेप्सिको का आरोप है कि ये किसान आलू की उस कस्मि का उत्पादन कर रहे थे, जिससे लेज चप्सि बनाए जाते हैं और इस पर कंपनी का कॉपीराइट है। पेप्सिको ने इससे हुए नुकसान के लिये 1.05 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की भी मांग की है।

प्रमुख बिंदु

- इन किसानों पर एफसी-5 कस्मि के आलू उगाने और बेचने के लिये मुकदमा किया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको का दावा है कि विरष 2016 से ही उसे 'भारत में इस आलू के उत्पादन का वशिष अधिकार' मिला हुआ है।
- किसान समूहों का कहना है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स (Protection of Plant Varieties and Farmers Rights-PPVFR) के तहत किसानों को कसि भी संरक्षित कस्मि के बीज बोन, उगाने और बेचने का पूरा अधिकार है।
- किसान चाहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी (PPV & FRA) नेशनल जीन फंड (National Gene Fund) के माध्यम से किसानों को मुकदमा लड़ने के लिये धन मुहैया कराए।
- जनि किसानों पर मुकदमा किया गया है वे 3-4 एकड़ की खेती वाले छोटे किसान हैं।
- किसानों का आरोप है कि पेप्सिको ने एक नजि जासूसी एजेंसी का सहारा लिया और कुछ लोग उनके पास संभावित खरीदार के रूप में आए तथा गोपनीय तरीके से खेती का वीडियो बनाया और आलू का नमूना ले गए।
- इससे पहले 2018 में भी कंपनी ने अरावली ज़िले के पाँच किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

सुरक्षात्मक खंड (Protective Clause)

- पेप्सिको ने अपने अधिकारों के उल्लंघन का दावा पौधे की प्रजाति और कृषक अधिकार संरक्षण (PPV and FR) अधिनियम, 2001 की धारा 64 के अंतर्गत किया है।
- धारा-64 में कहा गया है कि एक किसान को संरक्षित कस्मि के बीज को बोन के अलावा उसे अपने कृषिउपज को बचाने, उपयोग करने, पुनः बोन, आदान-प्रदान करने, साझा करने या बेचने की अनुमति है जब तक कि वह "ब्रांडेड बीज" नहीं बेचता।

पौधे की प्रजाति और कृषक अधिकार संरक्षण (PPV and FR) अधिनियम, 2001

- पौधों की कस्मिों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा पौधों की नई कस्मिों के विकास के लिये इस अधिनियम को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया।
- यह अधिनियम नई कस्मिों के विकास के लिये पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, उनमें सुधार तथा उन्हें उपलब्ध कराने में किसानों के योगदान को मान्यता प्रदान करता है।
- पौधे की प्रजाति और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थापित किया गया है।

स्रोत : द हिंदू